

न्यायालय
17/11/2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थी
वरिष्ठ क्षेमापड रांउंमां किं खान त्लाई कालोली	ना म	

राजस्व प्रार्थना-पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

प्रार्थना-पत्र नम्बर 148 / 2021 GCMS No. 2021/789

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हए
-------------	------------------------------------	--

17/11/2021

प्रार्थी श्री वरिष्ठ क्षेमापड रांउंमां मुत्र मां किं खान
त्लाई कालोली
जाति निवासी द्वारा आज प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चाकडिया
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2075-78
ग्राम कालोली पटवार मण्डल चाकडिया के खाता
नम्बर 148 मे प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि
गोपी स्वर्ण जमली पाडशाला खान त्लाई की बाणी
दर्ज है, जो अशुद्ध है। कालोली

प्रार्थी का शुद्ध नाम राज किय उच्च माध्यमिक विद्यालय
खान त्लाई कालोली है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में
शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर
साक्ष्य स्वरूप प्रार्थी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर मतदाता पहचान पत्र
अन्य दस्तावेज विद्यापीठ कालोली की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी चाकडिया भू.अ.नि. चित्तौड़
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर
उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश
प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)



588-589